

प्रेस नोट

28.03.2021

40 लीटर अवैध कच्ची शराब व 36 शीशी देशी शराब के साथ तीन गिरफ्तार—

दिनांक 27/29.03.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुकलौली नहर पुलिया के पास से अमरनाथ पुत्र रामधनी निवासी सुकरौली थाना दोहरीघाट के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, बेला करैला के पास से मुनीब सिंह पुत्र शिवचन्द्र सिंह निवासी बेला करैला थाना दोहरीघाट के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सलाहाबाद के पास से अच्छेलाल यादव पुत्र लालचन्द्र यादव निवासी सिधंलपुरा अछार थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से 36 शीशी (200 एमएल) देशी बन्टी—बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 28.03.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नुरानी हाता के पास से मु0अ0सं0 120/21 धारा 354504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त कामराज अहमद पुत्र अब्दुल हकी निवासी रधुनाथपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 28.03.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा सुरेश, राजू हरिजन निवासी सुल्तानपुर थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा रमेश चन्द्र, परशुराम सिंह निवासीगण शक्पुर, रामप्रवेश, रजनीश निवासीगण करौली थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा वीरेन्द्र यादव निवासी मझवारा, शिवबचन, अनिल निवासीगण कोपागंज थाना कोपागंज, संजय, राकेश, पकंज, रामू निवासीगण मेलरीकोट थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा हरिलाल, विशाल निवासीगण सेन्दुराइच थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मोहित वर्मा निवासी मालगोदामपुरा थाना कोतवाली जनपद बलिया, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा नागेश्वर राम निवासी चकरामजी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।